IJAER/November-December 2018/Volume-7/Issue-3 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

पंचायती राज में महिलाओं की राजनितिक सहभागिता एवं सक्रियता उत्तराखंड राज्य के विशेष सन्दर्भ में

बृजमोहन सिंह

शोध विद्यार्थी, सनराइज विश्वविद्यालय अलवर राजस्थान

सारांश

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की भूमिका, राजनीतिक सहभागिता एवं सक्रियता का अध्ययन करना हैं। अध्ययन क्षेत्र की व्यापकता को देखते हुए शोधार्थी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की महिला प्रतिनिधियों के आनुभाविक प्रमाणों के आधार पर राज्य में महिलाओ की सामाजिक, आर्थिक स्थिति एवं राजनीति में भागीदारी एवं सक्रियता की प्रकृति का परीक्षण किया जायेगा। प्रथम अध्याय प्रस्तावना, साहित्य पुनरावलोकन, शोध प्रविधि एवं पद्धतिशास्त्र में सर्वप्रथम महिलाओं की प्रस्थिति का अतीत से वर्तमान तक का एक विश्लेषणात्मक विवेचन किया गया है। वैदिक काल में महिलाओं की आदर्श स्थिति के दर्शन हम होते हैं। इस काल में पत्नी को विभिन्न प्रकार की सम्मानजनक उपमाआ से सुशोभित किया गया है। उसे अर्धांगिनी व सच्ची मित्र, गुणों का स्रोत आनंद व लक्ष्मी का रूप माना है। पत्नी को एकांत में मित्र के समान व जीवन की कठिनाइयों भरे मार्ग में विश्राम का साकार रूप माना गया है। हालांकि बहु पत्नी प्रथा प्रचलित थी, परंतु सभी स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था तत्कालीन समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। वैदिक काल को महिलाओं की स्थिति के दृ ष्टिकोण से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इस काल में महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने, शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञ इत्यादि धार्मिक कार्य, युद्ध एवं राजनीति में भी भाग लेने का पूरा अधिकार प्राप्त था।

मुख्य शब्द: *पंचायती राज, उत्तराखंड राज्य*

प्रस्तावना

भारत में स्त्रियों की प्रस्थिति के सम्बन्ध में मैं यह अवश्य कहना चाहूंगी कि औरतों को जिस दृष्टि से समाज द्वारा देखा जाता है, और लिंग में अन्तर करके उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उन्हें पुरुषों के समकक्ष नहीं समझा जाता। भारत के विकसित समाज की यह सबसे बड़ी त्रासदी है। भले ही वर्तमान में स्त्रियों ने पढ़–लिख कर कुछ विशेष स्थानों तथा पदों पर पुरुषों की बराबरी कर ली हो, किंतु उनका विषय इतना कम है कि वह अवहेलना का शिकार होती जा रही है। ईश्वर ने मानव को दो रूप दिये हैं– एक पुरुष, और दूसरा नारी । भगवान ने स्त्री जाति के शरीर को इस प्रकार मण्डित किया है कि वह संसार के भविष्य की स्वयं निर्मात्री हो गयी है। कई युग पुरुष हुए हैं, जो नारी के हर रूप चाहे वह माँ, पत्नी, बहिन, भाभी, अथवा दाई रही हो, से प्रभावित होकर महान बने हैं। अतः कह सकते हैं कि संसार की तरक्की नारी के विकास पर पूर्णतः निर्भर है। उसको हर क्षेत्र में बढ़ावा देना,

सहभागिता व सक्रियता जैसे शब्दों को साकार कर देने से ही देश का भला हो सकता है उसे परित्यक्त, अपमानित करके नहीं। महाभारत में भी कहा गया है

" अर्ध भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा।

भार्या मूलं त्रिवर्गस्य भार्या मूलं तरिष्यतः।।"

वह अर्धांगिनी बनकर व्यक्ति को सम्पूर्ण करती है। आज के दौर में स्त्रियां इंजीनियर, पायलट, डाक्टर, नर्स, अध्यापिका तथा सबसे महत्वपूर्ण देश भी संभाल रही है। वर्तमान में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन देश का गौरव बन रही है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की भूमिका, राजनीतिक सहभागिता एवं सक्रियता का अध्ययन करना है। अध्ययन क्षेत्र की व्यापकता व शोध की प्रकृति को देखते हुए शोधार्थी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की महिला प्रतिनिधियों के आनुभाविक प्रमाणों के आधार पर राज्य में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति एवं राजनीति में भागीदारी एवं सक्रियता की प्रकृति का परीक्षण किया जायेगा।

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति: एक झलक

वैदिक काल –

"वैदिक काल में यह आदर्श रहा है कि स्त्री पुरूष की प्रकृति है, जिसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता है। वैदिक काल में पितृसत्तामक व्यवस्था होते हुए भी नारी का आदर व सम्मान पुरूष के समान ही था। इस काल में पुत्र व पुत्री दोनों को समान दृष्टि से देखा जाता था। इस काल में पत्नी को इस प्रकार सम्मान दिया गया था कि "वह अर्धांगिनी व सच्ची मित्र है वह गुणों का स्रोत, आनन्द तथा लक्ष्मी का रूप है। वह एकान्त में मित्र तुल्य है, जीवन के बीहड़ मार्ग में वह विश्राम का साकार रूप है। इस काल में विधवा विवाह की स्वीकृति थी, ऋग्वेद में एकपत्नी प्रथा का उल्लेख है। तथापि वैदिक आर्य एक से अधिक पत्नियां रखते थे। "बहुविवाह की प्रथा क्षत्रिय राजा और पुरोहितों में अधिक प्रचलित थी। राजा पुरूवा की अनेक पत्निया थीं। अन्तर्जातीय विवाह पर भी रोक नहीं थी। वेश्यावृति भी प्रचलित थी।ष ष्इस काल में सती प्रथा का उल्लेख नहीं है, परन्तु विधवा स्त्रियां स्वयं ही जल जाया करती थीं। कभी–कभी उसके सम्बन्धी जन ही उसे जला देते थे। परन्तु यह प्रथा केवल क्षत्रिय परिवारों तक ही सीमित थी।"

इस काल में स्त्रियों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार था। क्योकि उस युग में अनेक ब्रह्मवेदिनी और ऋषिकायें– मैत्रेयी, गार्गी, घोषा, उर्वशी, सावित्री, राची आदि का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। "घोषा वैदिक संस्कृति में लिखने वाली विश्व की सर्वप्रथम सूत्र लेखिका थी। इस युग में स्त्रियों को युद्ध विद्या की शिक्षा भी दी जाती थी। अगस्त के पुत्र पुरोहित ऋषि की पत्नी विश्वला ने अपने पति के साथ युद्ध

में भाग लिया था। इस काल में राजपूत अपनी स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे, पर्दे की प्रथा नहीं थी। उन्हें पर्याप्त स्वतन्त्रता थी। धनी व निर्धन सभी राजपूतों में स्वयंवर की प्रथा थी। स्त्रियां वयस्क होने पर ही विवाह करती थीं। अलबरूनी ने लिखा है कि सभी स्त्रियां शिक्षित थीं, वे सार्वजनिक कार्यों में भाग लेती थीं। कन्यायें संस्कृत पढ़ती, लिखती और समझती थीं। "वे सार्वजनिक कार्यों में भाग लेती थी, वे खेल, नृत्य और चित्र बनाना सीखती थी। कुछ स्त्रियां इतनी विदुषी थी कि वो विवाद मे किसी को भी हरा सकती थी। बाह्मण विद्वान शंकराचार्य को मंडनमिश्र की पत्नी ने परास्त किया था। राजपूत स्त्रियों के सतीत्व व देशभक्ति के असंख्य उदाहरण मिलते हैं। सतीत्व की रक्षा के लिए स्त्रियां प्रसन्नता से आग में जल गयीं थी।श्6 वैदिककाल में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षिक स्थिति अच्छी थी। समाज व परिवार में उसकी स्थिति उच्च थी। राजनीति में भी भाग लेने का उसे पूरा अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार हम देखते है कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत सम्मानीय थी।

उत्तरवैदिक काल

"इस काल में प्रधानता का केन्द्र नारो जगत् से हटकर पुरूष जगत् की ओर बढ़ने लगा। तब मानव समाज के नियमों में प्रमुख परिवर्तन पितृ गृह छोड़कर पतिगृह जाना प्रारम्भ हो गया था। इस काल में स्त्री पद का पतन प्रारम्भ हो गया था। अतएव अब नारी को अनादर की दृष्टि से देखा जाने लगा था। काम प्रवृत्ति के साथ नारी की भी निन्दा की जाने लगी। ष्नारी की निन्दा हमें उर्वशी सूक्त में पढ़ने को मिलती है। ऐतरेय बाह्मण में नारी को एक भारी अर्नथी और कन्या का जन्म संकट पैदा करने वाला माना गया है। मैत्रायणी संहिता में नारी को मदिरा और जुआ की संज्ञा दी गयी हैं। त्रैत्तिरीय संहिता में नारी को एक बुरे शूद्र से भी नीचा बतलाया ह। शतपथ बाह्मण ने नारी को एक बुरे आदमी से भी हीन बतलाया है। उत्तर वैदिक काल में समाज व परिवार में स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय थी। कन्या का जन्म अशुभ माना जाता था। कन्या को कष्ट व दुख का स्रोत समझा जाता था। महिलाओं का राजनीतिक परिषदों में भाग लेना वर्जित था। सुयोग्य व विदुषी स्त्रियों को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। लेकिन उनकी सामान्य स्थिति बहुत खराब थी।

उपनिषद काल

उपनिषद काल में स्त्रियों को वैदिक ग्रन्थों के अध्ययन का पूर्ण अधिकार था। वे जीवन के सर्वोच्च आध्यात्मिक तथ्यों पर पुरूषों के साथ वाद विवाद करती थी। छान्दोग्य उपनिषद में स्पष्ट लिखा है कि षबिना पत्नी के पुरूष अपूर्ण हैं। गार्गी ने याज्ञवल्कय के साथ धार्मिक विषयों पर विचार–विमर्श किया। कर्मकाण्डों की जटिलता बढ़ने के साथ स्त्रियां पतियों के साथ बैठकर यज्ञ नही कर सकती थी। वेदों का अध्ययन भी स्त्रियों के लिए वर्जित था, जिससे बाल विवाह होने लगे। ष्अनुलोम विवाह होने से स्त्रियों के गौरवपूर्ण पद को हानि पहुची तथा तपस्या की प्रवृत्ति बढ़ने के साथ जब संसार त्याग एक आदर्श माना जाने लगा तो स्त्री इस त्याग में सबसे बड़ी बाधा थी, इसीलिए उसे अनादर की दृष्टि से देखा जाने लगा।"10

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषद काल में स्त्रियों की स्थिति खराब थी। पहले उन्हे वेदों के अध्ययन का अधिकार था, परन्तु बाद में उनसे यह अधिकार छीन लिया। समाज में भी उनकी स्थिति अच्छी नही थी। बहुविवाह की प्रथा आरम्भ हो गयी थी।

महाकाव्य काल –

रामायण काल –

"रामायण मूलत: नारी का ही काव्य है इस काल में पग पग पर पतिवृत्य धर्म की महिमा गायी है। राम अपनी माता से वार्तालाप करते हुए कहते है कि जब तक स्त्री जीवित रहे, तब तक उचित है कि वह अपने पति को ही देवता और स्वामी समझें।ष1 सीता को पति सम्मानिता कहा गया है। "सीता के अभाव में राम को सीता की सुवर्ण प्रतिमा रखनी पड़ी थी। रामायण काल में बहुविवाह प्रचलित था। राजा दशरथ की तीन रानियां थी, लेकिन स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी। सीता के स्वयंवर से इस बात की पुष्टि होती है। 12 इस काल म महिलाओं को आदर की दृष्टि से देखा जाता था तथा कन्या का होना अमांगलिक तो नही पर चिन्ता का विषय माना जाता था। इस काल मे पतिवृत्य धर्म पर बल दिया गया हैं वह उसकी इच्छा के विरूद्ध नही जाती थी। विधवाओं का स्थान भी इस काल में सम्मानयुक्त था।

महाभारत काल

महाभारतकाल में हम नारी के दो रूप पाते है– प्रथम रूप में वह गौरवमयी, सम्मान की पात्र व लक्ष्मी स्वरूपिणी भी है और दूसरे पर्व में यह कहा गया है कि वह समस्त दोषों की मूल पापिनी व व्याभिचारिणी है। अनुशासन पर्व में कहा गया है कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी है। उन्नति चाहने वाले पुरूष को उनका भली–भांति सत्कार कर उन्हें अपने वश में रखना चाहिए, उनका पालन करने से स्त्री श्री का स्वरूप बन जाती है। महाभारत के आदिपर्व, वनपर्व तथा स्त्रीपर्व में नारी जाति के प्रति बड़ा सम्मान व्यक्त किया हैं। शकुन्तला दुष्यंत से कहती है कि स्त्री धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष का मूल है वह सबसे बड़ी मित्र है।

"इसके विपरीत महाभारत के पंचचूड़ा और नारद संवाद में स्त्री की निन्दा करते हुए कहा गया है कि स्त्री सबसे अधिक पापी, माया, आग, विष, चंचल दुष्चरित और कृतघ्न है। स्त्री को कदापि स्वतन्त्रता नही देनी चाहिए। जैसे प्रकृति अज्ञानी पुरूष को बाँधती है, उसी भांति ये स्त्रियां पुरूषों को अपने मोह जाल में बाँध लेती हैं। अतएव सामान्यतः प्रत्येक पुरूष को विशेष प्रयत्नपूर्वक स्त्री के संसर्ग से दूर रहना चाहिए।ष3

डा0 श्याम सुन्दर व्यास ने इस युग की नारी का विश्लेषण करते हुए कहा हैं कि ष्रामायण महाभारत काल की नारी यदि बड़ी है तो इसीलिए कि वह अपने एकांकी नर की छाया है उसकी सतत् अनुगामिनी हैं।ष4 इन बातों से यही प्रकट होता है कि नारी का मान महत्व अब कम होने लगा था और चारों ओर से उसे जकड़ने एवं उसके अधिकारों को सीमित करने का प्रयत्न प्रारम्भ हो गया था।

स्मृतिकाल

"मनुस्मृति द्वारा तत्कालीन नारी की स्थिति का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता हैं। मनुस्मृति में कन्याओं के लिए भी यज्ञोपवीत का विधान किया गया हैं। नारद स्मृति में विधवा स्त्री को अपने पति की सम्पत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करने का अधिकार नही दिया, मनु ने विधवाओं को उसके अधिकारों से भी वंचित रखा। मनु ने स्त्रियों को आदर नहीं दिया है, उन्हे वेदों के अध्ययन की आज्ञा नही दी। विवाह से पहले कन्या को अपने पिता व भाई के संरक्षण में, विवाह के बाद पति और पुत्रों के संरक्षण मे रहना पड़ता था। स्त्री धन के अतिरिक्त वह कोई सम्पत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं कर सकती थी।15

यवन, शक, हूण आदि विदे"ी जातियों के आक्रमण काल में स्त्रियों की रक्षा भारत के लिए एक गम्भीर समस्या बन गयी थी। इसी कारण यह आवश्यक समझा जाने लगा था कि पिता, पति तथा पुत्रों द्वारा रक्षित होकर वे जीवनयापन किया करें यही समय था जब पिता कन्या के जन्म को अवांछनीय समझने लगे और लोग पुत्रोत्पत्ति की कामना करने लगे। प्रारम्भ में इस काल में स्त्रियों का काफी सम्मान होता था, लेकिन बाद में कन्या का जन्म ही पाप समझा जाने लगा। इस काल में विधवाओं की स्थिति बहुत खराब थी।

ब्रिटिश शासन –

ब्रिटिश शासन में भी स्त्रियों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। व्यक्तिगत कानून व धार्मिक प्रथाओं ने स्त्रियों को समाज में एक बहुत ही निम्न स्तर दे रखा था। निम्न वर्गीय औरतों से ज्यादा खराब स्थिति उच्च वर्ग की औरतों की थी। परम्परागत रूप से औरतों की मां और पत्नी के रूप में प्रायः प्रशंसा की जाती थी। लेकिन व्यक्ति के रूप में समाज में उनका स्थान बहुत नीचे था, उनको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नही थी। न उन्हे अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का अधिकार था। "हिन्दू मुसलमान दोनो में पुरूषों को बहुविवाह करने का अधिकार था। औरतो को पर्दे में रहना पड़ता था, लड़कियों की बहुत कम उम्र में किसी भी उम्र के लड़के के साथ शादी कर दी जाती थी। इससे विधवाओं की संख्या बढ़ती गयी इतना ही नही मृत पति की लाश के साथ ही विधवाओं के जल जाने को अच्छा माना जाता था। लेकिन बिटिश काल में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आया। मानवतावादी भावनाओं से प्रेरित होकर समाज सुधारकों ने उनकी दशा सुधारने के लिए आंदोलन किए। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर पूरी ताकत से प्रहार किया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार ने सहयोग किया और 1829 में कानून बना विधवाओं को जिंदा जलाना बंद करवाने का प्रयास किया।"

उत्तराखण्ड में पंचायती राज व्यवस्थ

गढ़वाल तथा कुमाऊं जनपदों को अपने में समाहित किये हुए, आद्याशक्ति पार्वती की जन्मभूमि उत्तराखण्ड, प्राचीन समय से ही ऋषि–मुनियों की तपोभूमि रही है। "नगाधिराज का यह प्रदेश जहां विश्व के सर्वोच्च गिरिशृंगों, रजत–सुनहले कांठो, कमलवनों, सुपुष्पित–सुरभित बुग्यालों, सुधानीरा गंगाओं तथा सुरम्य वनों से विभूषित है।"

––– महाकवि कालिदास ने भी अपने महाकाव्य के मंगलश्लोक में हिमालय की वन्दना कर नगाधिराज को देवात्मा एवं पृथ्वी का मानदण्ड कहा है

"अस्तुत्तरस्यां दिशिदेवात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः।

पूर्वापरौ तोमनिधिः वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ।।"2

उत्तराखण्ड भारत की प्राचीन सभ्यता एक संस्कृति का द्योतक है। यहां का नैसर्गिक सौन्दर्य एवं सांस्कृतिक परम्पराएं अनायास ही सबको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ष्ज्ञान–विज्ञान एवं सांस्कृतिक परम्पराओं को स्थाई रखने में हिमालय की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसका आज भी इतिहास साक्षी है। इस क्षेत्र में हिमशैलों, सरित–तटों एवं नदी–संगमों पर चरक, व्यास, पाणिनी, भृगु, अगस्त्य, भारद्वाज आदि कतिपय ऋषि–मुनियों ने योग साधना में रत होकर संहिताओं एवं पुराणों का सृजन किया। महामुनि वेदव्यास ने पुराण–ग्रन्थों एवं महाभारत की रचना भी यहीं की है।"

देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखण्ड के गढ़वाल क्षेत्र का केदारखण्ड और कुमाऊँ क्षेत्र का कुर्मांचल के रूप में पौराणिक ग्रन्थों में वर्णन मिलता हैं। उत्तराखण्ड राज्य भारतीय गणराज्य का नवनिर्मित 27 वॉ राज्य है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इस प्रदेश में अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य का लगभग 23 प्रतिशत भाग सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग म स्थित इस प्रदेश का अधिकांश भाग पर्वतीय है। उत्तराखण्ड राज्य 13 जिलों जिनमे गढ़वाल मण्डल के चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग तथा कुमांऊ मण्डल के नैनीताल, उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत जिलों को सम्मिलित करके बना हैं।

नवोदित उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार और उधमसिंह नगर का सम्पूर्ण भू भाग मैदानी हैं, और देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल जिलों का आंशिक भू भाग मैदानी और बाकी पर्वतीय क्षेत्र हैं। जिलों चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत के सम्पूर्ण भू भाग की अधिकतम ऊचाई 7816 मीटर हैं।

उत्तराखण्ड सरकार की सांख्यिकी सूचना के अनुसार उत्तराखण्ड के कुल क्षेत्रफल का 62.3 प्रतिशत वन क्षेत्र हैं। कृषि के अर्न्तगत केवल 14.3 प्रतिशत क्षेत्रफल हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि प्रधान होने के साथ ही साथ पर्यटन और तीर्थाटन पर भी निर्भर करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 10,086,292 हैं। जिसमें से 5,137,773 पुरूष तथा 4,948,519 महिलाएं हैं। उत्तराखण्ड का अधिकांष्ज भाग ग्रामीण

उत्तराखण्ड : नामोत्पत्ति –

हरिद्वार से मानसरोवर तक का भू भाग, केदारखण्ड और मानसखण्ड उपपुराणों के अनुसार श्केदारखण्डश और श्मानसखण्डश दो भागों में बँटा था, जिनकी सीमा पश्चिम में टोन्स (तमसा) नदी से पूर्व में काली (शारदा) नदी तक मानी जाती हैं। कालांतर में कदारखण्ड और मानसखण्ड के उत्तरवर्ती दो बड़े राज्यों

क्रमष्ज्रू गढ़वाल और कुमाऊँ का उदय हुआ उत्तराखण्ड नाम निश्चित रूप से गढ़वाल और कुमाऊँ से पूर्ववर्ती हैं। परन्तु केदारखण्ड और मानसखण्ड से उत्तरवर्ती हैं। केदारखण्ड और मानसखण्ड के नाम यद्यपि महाभारतकाल तक प्रचलित थे, तथापि इस काल में केदारखण्ड और मानसखण्ड का आधिपत्य एक ही नरेश विराट के अधीन था। ज्ञातव्य है कि वैष्णवों के समय में भी यह सम्पूर्ण क्षेत्र एक ही प्रशासनिक व्यवस्था से संचालित रहा, जिस कारण इसको नारायणी क्षेत्र या देवभूमि के नाम से पुकारा जाता रहा। मत्स्यराज महाराजा विराट के शासन के पश्चात् केदारखण्ड और मानसखण्ड को संयुक्त रूप से एक ही नाम उत्तराखण्ड से जाना जाने लगा।

कतिपय प्राचीन ग्रन्थों/अभिलेखों में उत्तराखण्ड शब्द का उल्लेख मिलता है। यथा

1–स्कन्दपुराण के केदारखण्ड नामक ग्रन्थ में गंगा नदी के उद्गम स्थल के वर्णन में उत्तराखण्ड शब्द का प्रयोग मिलता हैं। (अध्याय–16)

"तत्रापि भारत वर्षे सुपुण्ये कामदायके।

तत्रापि हि उत्तरे खण्डे यत्र गंगा सरिद्वारा ष्द्यद्य76 द्यद्यष

2–नागपंथ के प्रर्वतक गुरू गोरखनाथ ने अपनी पुस्तक श्गोरखावारीश में उत्तराखण्ड शब्द का प्रयोग किया है।

"उत्तराखण्ड जाइवा सुनिफल खइवा।।"

3–नागकन्या चम्पावती मध्य प्रदेश में विदिशा से चम्पावत में तपस्या के लिए आयीं थीं। उसके जागर में भी उत्तराखण्ड का नाम प्रयोग किया गया हैं।

"तब चली वैणा आपणा आपणा प्रणाकरी, कउवा उत्तराखण्ड माज।।ष

हिमालयी क्षेत्रों के गजेटियर सर्वप्रथम 1882 ई0 में ई.टी एटकिन्सन द्वारा संपादित होकर प्रकाति हुए। उत्तराखण्ड शब्द का प्रचलन 20वीं सदी के प्रथम दशक में हुआ। केदारखण्ड पुराण के 1911 ई0 में प्रकाशित द्वितीय संस्करण में उत्तराखण्ड शब्द का उल्लेख निम्नवत् मिलता हैं।

'भूस्वर्ग उत्तराखण्ड हिमाच्छादित भू भाग का तत्वपूर्ण विस्तृत खण्डश

1923 में शालिग्राम वैष्णव द्वारा रचित श्उत्तराखण्ड रहस्यश, 1946 में गोविन्द प्रसाद नौटियाल की श्बसुधाराश पुस्तक में उत्तराखण्डीय तीर्थ, 1952 में बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित श्कनक वंश काव्यश की भूमिका में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी द्वारा प्रयुक्त शब्द श्उत्तराखण्डश तथा सन् 1960 में डा० शिवप्रसाद डबराल ने श्उत्तराखण्ड यात्रा दर्शनश तथा कई खण्डों में श्उत्तराखण्ड का इतिहासश लिखकर इस शब्द को लोकप्रिय बना दिया।

महाकवि कालीदास द्वारा श्कुमार सम्भवश महाकाव्य (1/1) में श्अस्तुतरस्याश शब्द का प्रयोग करके उत्तर दिशा की और संकेत करने के साथ–साथ कई प्राचीन ग्रंथों एवं शब्दकोशों में उत्तरंग, उत्तरत्र, उत्तराहि, उत्तरपथ या उत्तरापथ जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता हैं, जिनका सम्बन्ध निश्चित ही श्उत्तराखण्डश से है। 'उत्तराखण्डश नाम सर्वथा नवीन हैं, इसकी पुष्टि डा0 डबराल ने भी की हैं। उनके अनुसार उत्तर दिष्यमें स्थित मध्य हिमालय के इस क्षेत्र के नाम में उत्तरापथ के पूर्व काल पद को केदारखण्ड और मानसखण्ड पुराणों के अन्तिम उपपद, श्खण्डश से जोड़कर शब्द संयोजन द्वारा श्उत्तराखण्डश नाम दिया गया हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासनिक लेखों में उत्तराखण्ड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सचिवालय में किया गया। 24 फरवरी 1960 को चमोली, उत्तरकाशी, तथा पिथौरागढ़ तहसीलों को जनपदों में उच्चीकृत कर ष्उत्तराखण्ड मण्डलष नाम दिया गया था। तत्समय से ही उत्तराखण्ड शब्द विधिवत् शासकीय अभिलेखों में अंकित होकर 9 नवम्बर 2000 को नवगठित राज्य के लिए प्रचलन में आ गया।

उददेश्य –

प्रत्येक मानवीय प्रयास के मूल में कोई न कोई प्रयोजन या उददे"य अव"य निहित होता हैं। सामाजिक अनुसंधान भी एक ऐसा ही प्रयास है जिसका उददें"य सामाजिक घटनाओं पर आधारित तथ्यों का संकलन, वि"लेषण, निर्वचन, सामान्यीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन करना हैं।

पी0वी0 यंग के अनुसार सामाजिक अनुसंधान का उददे" य अस्पष्ट को स्पष्ट रूप देना अनिचित तथ्य को निष्चत रूप प्रदान करना तथा सामाजिक जीवन की भ्रान्त धारणाओं से सम्बन्धित तथ्यों को सं"ोधित करना हैं। सेल्टिज, जहोदा तथा उनके सहयोगियों के अनुसार – सामाजिक अनुसंधान के दो उददे"य प्रमुख हैं–बौद्धिक या सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक या उपयोगितावादी उददे"य ।

शोध अभिकल्प एवं अनुसंधान की रूपरेखा –

अभिकल्प शब्द का अभिप्राय पूर्व निर्धारित रूपरेखा हैं। एकोफ ने अभिकल्प या संरचना शब्द की व्याख्या इस उपमा द्वारा की हैं। एक भवन निर्माणकर्ता भवन का अभिकल्प या प्ररचना पहले से ही बना लेता है, कि यह कितना बड़ा होगा, इसमे कितने कमरे होगें, कौन सी सामाग्री का प्रयोग इसमें किया जायेगा इत्यादि। ये सब निर्णय वह भवन निर्माण से पहले ही बना लेता हैं, ताकि भवन के बारे में एक ना बना ले तथा यदि इसमें किसी प्रकार का संशोधन करना हैं तो इसमें निर्माण शुरू होने से पहले ही किया जा सके। सैल्टिज, जहोदा व अन्य के अनुसारदृ "सामाजिक अनुसंधान का अर्थ सामाजिक घटनाओं तथा तथ्यों के बारे में नवीन जानकारी प्राप्त करना हैं अथवा पूर्व अर्जित ज्ञान में संशोधन, सत्यापन एवं संवर्द्धन करना हैं। आर.एल. एक्रॉफ की कृति–ष्द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च में लिखा हैं दृ "अभिकल्प का अर्थ योजना बनाना है, अर्थात् प्ररचना पूर्व निर्णय लेने की प्रक्रिया है, ताकि परिस्थिति पैदा होने पर इसका प्रयोग किया जा सकें। यह सूझ–बूझ एवं पूर्वानुमान की प्रक्रिया हैं, जिसका उद्देश्य अपेक्षित परिस्थिति पर नियन्त्रण रखना है।

प्रस्तत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अन्वेषणात्मक हैं। अतः शोध हेतु इस अध्ययन में अन्वेषणात्मक तथा विवेचनात्मक शोध अभिकल्प का उपयोग किया गया हैं। पंचायती राज की पृष्ठभूमि ग्रामीण परिवे"ज की हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों की महिला प्रतिनिधियो में पंचायती राज के वास्तविक उद्देश्य लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का ज्ञान होना भी आवष्यक हैं। प्रस्तुत शोध कार्य में अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण से ग्रामीण महिलाओं की पंचायती राज में विभिन्न परिप्रेक्ष्यों जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व प्रशासनिक भूमिका के सन्दर्भ में अध्ययन करके उनकी एक विष्लेषणात्मक व्याख्या प्रस्तुत की गयी हैं।

प्रस्तुत अध्ययन मुख्य रूप से प्राथमिक एवं द्वैतीयक दोनो ही आंकड़ों पर आधारित होगा तथा आंकड़े एकत्र करने के लिए मुख्य रूप से प्र"नावली, साक्षात्कार अनुसूची तथा आव" यकतानुसार असहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग किया जायेगा। अध्ययन की सूक्ष्मता तथा गहनता को ध्यान में रखकर वैयक्तिक अध्ययन को भी सम्मिलित किया जायेगा।

निष्कर्ष

पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण ने एक मिसाल कायम की है। निश्चित रूप से इसका प्रभाव भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी पर भी पड़ेगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पिछले दशक से महिलाएं अपने घरों से निकल कर बाहर राजनीति में आयी हैं और अनेक बदलाव भी किये है। वे जिस स्तर पर भी काम कर रही है, वहां–वहां बदलाव दिखाई देने लगा है। उत्तराखण्ड में महिलाओं में राजनीतिक सक्रियता अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां उत्तराखण्ड के अलग राज्य बनने के समर्थन आन्दोलन से लेकर अन्य भी किसी उद्देश्य–पूर्ति के लिए किए गए आंदोलनों में महिलाएं ही अग्रसर रही हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1.प्रसाद, गोपीशरण रू भारतीय सामाजिक व्यवस्था एवं संस्थाएं, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, 2014.
2.परमार, शुभ्रा रू श्नारीवादी सिद्धांत और व्यवहारश, ओरियंट ब्लैक स्वान प्राइवेट लिमिटेड, 2015.
3.बलोदी, राजेन्द्र प्रसाद बलोदी रू उत्तराखण्ड समग्र ज्ञानकोश, विनसर पब्लिशिंग कम्पनी, देहरादून, संस्करण 2015.
4.बसु, अमृता रू वीमेन्स एक्टीज्म एण्ड द वासीब्यूड्स ऑफ हिन्दू नेशनलिज्म जर्नल ऑफ वीमेन्स हिस्ट्री बाल्टीमोर, 1999, वाल्यूम–10, इश्यूज–4. २
5.बर्थवाल, चन्द्रप्रकाष्ज रू श्स्थानीय स्वासनश, सुलभ प्रकाशन लखनऊ 2001.
6.बंसल, वंदना रू पंचायती राज में महिला भागीदारी, ज्ञान पब्लिकेशन हाउस, 2004. बघाल–गजेटियर।
7.मोदी, नृपेन्द्र प्रसाद रू "गांधी चिन्तनष नयी किताब, दिल्ली, 2014.
8.महाजन, वी0डी0 रू प्राचीन भारत का इतिहास, एस चन्द एण्ड कम्पनी, रामनगर, 1976.
9.मैकऐशन रू एलीमेंट्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, मैकग्राहिल कंपनी, न्यूयार्क 1963.

10. यजुर्वेद, अथर्ववेद, अध्याय 40.
11. राबर्ट रैडफिल्ड रू लघु समुदाय, राजस्थान ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1973.
12. रावत, धन सिंह रू श्नवीन पंचायती राज एवं सामाजिक परिवर्तनश, अंकित प्रकाशन, हल्द्वानी, 2006.
13. वार्ष्णेय, उमा रू एजूकेशनल फॉर पालिटिकल सोशलाइजेशन ।
14. शर्मा, आर0ए0 रू शिक्षा अनुसंधान, लायस बुक डिपो, मेरठ।